

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

श्री बंशीलाल घांची, निवासी 349, बजरंग नगर, पाली

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रोहट

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 65/2019

R.C.M.S. No. --2019/00152

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
817119	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रोहट ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 19/7/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>950-51 10-7-19</p>
19/7/19	<p>पत्रावली काज पेश हुई अपीलांत द्वारा यह अपील लोक सूचना अधिकारी रोहट द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराते या सूचना के तहत पेश का सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। कोर्ट 2019 डि 10-7-2019 के लिखित आदेश पर लोक सूचना अधिकारी रोहट ने अपने फॉक राजस्थान/19/1078 दिनांक 19-7-2019 के माग्न करमा है कि वाचित सूचना अपीलाण्ट को उपलब्ध करा दी गये है। तहरोहट द्वारा अरिष्ट फॉक - राजस्थान/19/1070 डि 17-7-19 के द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गई है। एसी स्मति से इस न्यायालय से इस पत्रावली में किसी प्रकार की कार्यवाही कोषित नहीं रहजाती कि एजा अपील अपीलाण्ट कोष की जाती है। पत्रावली इस न्यायालय से शुभाहकाम की जाकर गव्हन से करु है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	